

107 हफ्ता
वाक दण्डाधी अजाय

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

पामु मुखा को
क्याम

M-43/2018 आदेश पत्रक

अजाय साह को

24/3/18

अभिलेख संख्या :- एम. अइका / 20018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी अइका के अप्राथमिकी संख्या :- 2/18

97


24/3/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द0 प्र0 स0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 24/3/18 को उपस्थापित करें।


अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

1/8/18

उभय पक्ष अनुपस्थित। निर्णय 1/9/18 को रहे।

3/9/18

उभय पक्ष अनुपस्थित। पुनः नोटिस निर्गत करें। निर्णय 15/9/18 को रहे।

15/9/18

उभय पक्ष अनुपस्थित। निर्णय 25/9/18 को रहे।

25/9/18

उभय पक्ष अनुपस्थित। पुनः नोटिस निर्गत करें। निर्णय 22/10/18 को रहे।

22.10.18

उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष जवाब दालें। अगली तारीख 27.10.18 को रहे।

27/10/18

उभय पक्ष उपस्थित। वाकू जी समाप्त वरते हुए सुलझामा उपस्थापित रहे।

(K)
22.10.18
(K)
27.10.18